

पत्रांक :-3/यो01-07/2025 (उ0शि0) 120/888/

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

सुधीर बाड़ा (भा0प्र0से0),
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 08/09/2025

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में NATS अंतर्गत डिग्रीधारी (गैर अभियंत्रण) Graduate Apprentice की सेवा प्राप्त किये जा रहे प्रत्येक Graduate Apprentice को रू0 7,500/- प्रति माह की दर से Stipend की कुल राशि (राज्य मद) रू0 73,80,000/- (तिहत्तर लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :-

विभागीय संकल्प संख्या 2257 दिनांक 02.11.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 118/बजट दिनांक 29.08.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में NATS अंतर्गत डिग्रीधारी (गैर अभियंत्रण) Graduate Apprentice की सेवा प्राप्त किये जा रहे प्रत्येक Graduate Apprentice को रू0 7,500/- प्रति माह की दर से Stipend की कुल राशि (राज्य मद) रू0 73,80,000/- (तिहत्तर लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन निम्नवत् प्रदान की जाती है-

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	आवंटित राशि
1	राँची विश्वविद्यालय, राँची	73,80,000=00
	कुल योग -	73,80,000=00

2. राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष-"मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-BS- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान, 01- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थाना हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) (विपत्र कोड-21S220203796BS010679) (स्कीम कोड-2107) के अंतर्गत होगा।"

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह- वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

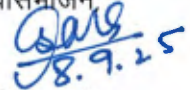
5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 118/बजट दिनांक 29.08.2025 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

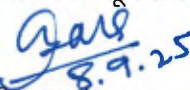
9. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन

8.9.25

(सुधीर बाड़ा)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो01-07/2025 (उ0शि0) 120/बजट/राँची, दिनांक- 08/09/2025

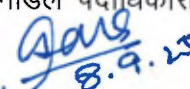
प्रतिलिपि -महालेखाकार का कार्यालय, झारखण्ड, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/ जिला कोषागार पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


8.9.25
(सुधीर बाड़ा)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो01-07/2025 (उ0शि0) 120/बजट/राँची, दिनांक- 08/09/2025

प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


8.9.25
(सुधीर बाड़ा)

निदेशक, उच्च शिक्षा।





आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 3/YO1-07/2025/120/BUDGET

दिनांक - 08-Sep-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1.	S 21 220203796BS010679	57187	DRNEDN046	7,380,000.00
	2202 - सामान्य शिक्षा			
	03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा		SUDHIR KUMAR	रुपये तीहत्तर लाख अस्सी हजार
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता		UNDER	
	BS - निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेंटर, कार्यशाला, कंसलटसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं		SECT.HIGHER	
	01-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेंटर की स्थापना, कार्यशाला, कंसलटसी, द्वितीय पाली में कक्षा का संचालन, नैक		EDU.DIR.JHA.	
	प्रशिक्षण अनुसंधान एवं परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित महाविद्यालयों के लिए सहायता अनुदान 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)			
	State Scheme			
	State Scheme :		FREE & DISTANCE EDUCATION, COACHING CENTER, WORKSHOP, CONSULTANCY, SECOND	
	Central Scheme :		SHIFT CLASSES, NAAC, RESEARCH, INCUBATION CENTER AND GRANTS-IN-AID TO VITTA RAHIT COLLEGES(2107)	



योग: रुपये तीहत्तर लाख अस्सी हजार

क्रमिक योग:

Sudhir Bara

7,380,000.00

(SUDHIR BARA)

DIRECTOR

